न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—124/2018/223 (2018/00124)

1. हरनारायण पुत्र रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी धून्धरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल पुत्र लादूराम, जाति गुर्जर,
2. गणपतलाल पुत्र बजरंगलाल जैन (फौत) नाम तर्क
3. भागचन्द पुत्र गणपतलाल जैन,
4. बालचन्द पुत्र मोहनलाल जैन,
5. ताराचन्द पुत्र भूरालाल जैन,
6. देवचन्द पुत्र मूलचन्द दीवानी ढोली,
   समस्त निवासी ग्राम धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
7. दुर्गेश पुत्र मिश्रीलाल जैन, निवासी टांकावास, तह0 केकड़ी हाल तहसील सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी दिनांक 1.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 543/2008.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 7
3. रेस्पो0 संख्या 2 का नाम तर्क ।

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट हरदयाल ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 पेश कर कथन किया कि ग्राम धून्धरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2061—64 के खाता संख्या 638 में वर्णित खसरा नंबर 571 रकबा 0.77 है0, खसरा नंबर 1986/3019 रकबा 0.51 है0 आराजियात वादी की खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण कर वादी की आराजी पर मकान आदि बनाने पर आमादा है। अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पादबं किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.5.2018 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा स्वंय की खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 571 पर कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं किये जाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजियात के लगवा खसरा नंबर 572 का होना वर्णित करते हुए तथा उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी होना वर्णित कर उक्त आराजियात पर स्वंय का मकान होना तथा वादग्रस्त आराजियात में से अपीलांट के भाई से कब्जे होने के आधार पर मकान निर्माण होना वर्णित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त संदर्भ में तनकियात कायम होने के उपरांत भी तनकी पर निर्णय पारित किये बिना पक्षकारान की सुनवाई किये बिना एकमात्र रेस्पो0 को सुनकर वाद पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज किये जाने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में वादग्रस्त आराजी के समीप खसरा नंबर 572 गैर मुमकिन आबादी का होना वर्णित करते हुए उपरोक्त आराजी पर काबिज होना वर्णित किया है। अधी0न्याया0 द्वारा मौके पर मकान खसरा नंबर 571 व 572 में बने होने बाबत् कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं होना वर्णित किया है इसके उपरांत विरोधाभासी रूप से मकान आदि बने हुए है वर्णित करते हुए वाद पत्र क्षैत्राधिकार में नहीं होना वर्णित करते हए राजस्व कैम्प में वादपत्र को निरस्त किया है । खसरा नंबर 572 की आराजी से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । अपीलांट द्वारा स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 571 के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी । खसरा नंबर 571 से रेस्पो0 का कोई संबंध नहीं है इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा आराजी खसरा नंबर 571 पर मकान निर्माण होना वर्णित करते हुए बिना किसी साक्ष्य के क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अपीलांट की साक्ष्य के उपरांत रेस्पो0 की साक्ष्य हेतु जैरकार था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प में नियत कर लोक अदालत में प्रकरण को निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में केवल मात्र राजीनामे के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है । विवादित आराजी खसरा नंबर 571 अपीलांट की खातेदारी आराजी होकर कृषि भूमि है जिसमें अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1998 पेज 546, आर0बी0जे0 1996 पार्ट–3 पेज 442, आर0बी0जे0 2010 पेज 236 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 लगायत 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 ने खसरा नंबर 571 में से अलग–अलग जमीन वादी के भाई सत्यनारायण सिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी जानकारी वादी को प्रारंभ से है। खसरा नंबर 571 व 572 दोनों सड़क से लगवा है । रेस्पो0 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज है तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार का नया कब्जा वादी की भूमि पर नहीं किया गया है ना ही वादी को बेदखल करने का प्रयास ही किया गया है । खसरा नंबर 571 की जमीन खसरा नंबर 572 के लगवा है तथा दोनों ही खसरा नंबरों पर मौके पर आबादी बसी हुई है । प्रतिवादीगण व अन्य खसरा नंबर 571 व 572 का उपयोग उपभोग गत 30–40 वर्षो से करते आ रहे है । मौके पर खसरा संख्या 571 व 572 का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं हो रखा है । खसरा नंबर 571 पर वादी का कब्जा नहीं है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न

नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 पार्ट–1 पेज 358, आर0बी0जे0 1996 पेज 174, आर0बी0जे0 1995 पेज 480, आर0बी0जे0 2012 पेज 547, आर0बी0जे0 1998 पेज 490 एवं आर0बी0जे0 1997 पेज 149 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद पेश कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नंबर 571 में से अलग–अलग कुछ जमीन वाद के भाई सत्यनारायण सिंह राठौड़ से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जो कि वादी की पूर्ण जानकारी में है । यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 571 व 572 लगवा है जिस पर मौके पर आबादी बसी हुई है तथा दोनों खसरा नंबर का विभाजन नहीं है तथा 30 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादीगण के मकान, दुकानात, बाड़े बने हुए है जिसकी वादी को पूर्ण जानकारी है । विवादित आराजियात पर वादी का कब्जा नही है । प्रतिवादी ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजी पर बने मकानों की फोटो, ग्राम धून्धरी, तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 के खाता संख्या 1 खसरा नंबर 572 की प्रति पेश की है जिसमें खसरा नबर 572 सिवायचक खाते में दर्ज होकर किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है । इसके अतिरिक्त अजमेर विद्युत वितरण नि0लि0 केकड़ी द्वारा जारी बिजली के बिल की प्रति, नक्शा ट्रेस, मतदाता सूची की फोटो प्रति, आबादी भूमि में पट्टा लेने बाबत् आवेदन पत्र जिस पर तत्कालीन पटवारी हल्का की रिपोर्ट अंकित है इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है कि खसरा नंबर 571 पर उसका कब्जा काश्त है । जब खसरा नंबर 571 पर वादी का कब्जा काश्त ही नही है तो उसे बेदखल किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । इसके विपरीत प्रतिवादी ने विवादित आराजी खसरा नंबर 571 में अलग–अलग जमीनें वादी के भाई सत्यनारायणसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.5.2018 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर